पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो.ज.सं०–09 / 2014 ......69......

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड,राँची।

राँची, दिनांक : 10-7-14

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), विपत्र कोड–50P470200101200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	50–लघु सिंचाई विभाग / 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल / 20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन	05–निर्माण, 43 अनुरक्षण,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 50P470200101200543	**11.261**
आवंटित राशि – ₹ ग्यारह लाख छब्बीस हजार एक सौ मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–2015 के बजट उपबंध **₹ 1190.00 लाख** (ग्यारह करोड नब्बे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :– यथोक्त

9/7/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 69 रॉची, दिनांक :– 10-7-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉंची/गढ़वा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

9/7/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 69 रॉची, दिनांक :– 10-7-14

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)	**(अविनाश कुमार)** 9/7/14
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**सचिव**

विभागीय पत्रांक 69 दिनांक 10-7-14 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष –4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल ।
उप शीर्ष –20– पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन।
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण ,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)
विपत्र कोड–50P470200101200543
बजट उपबंध (वर्ष 2014–15) ₹ 1190.00 लाख (ग्यारह करोड नब्बे लाख) मात्र।

(राशि लाख रूपये मे)

कमांक	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटित राशि			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	गढ़वा	धुरकी	पारसपानी खुर्द ग्राम में जामा बाँध का जीर्णोद्धार	8 / 11.06.14	11.261	0.000	0.000	11.261	11.261	41739	केस सं॰–WP(PIL) No–543 / 2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में
						योग	**0.000**	**0.000**	**11.261**	**11.261**		

आवंटित राशि – ₹ ग्यारह लाख छब्बीस हजार एक सौ मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार)
सचिव